महत्वपूर्ण एवं खास

एक पुलिसकर्मी की फरियाद, दर्ज हो बिजली विभाग के अधिकारियों पर अपराध

ओवर रीडिंग भेजकर कर रहे तंग, अपने दफ्तर में कराते हैं हर महीने पेशी

रायगढ़। मैं हर महीने विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर का चक्कर ठीक उसी प्रकार लगाता हूं, जैसे कि मैं किसी मामले में आरोपी हूं और मेरी पेशी ली जा रही है। जबकि मेरा गुनाह केवल इतना ही है कि मैं हर महीने ईमानदारी से जितना बिल आता है उतने रुपयों का भुगतान कर देता हूं। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों के इस रवैये से अब मैं काफी दुखी हो गया हूं। इसलिए ये जैसे उपभोक्ताओं के खिलाफ थानों में मामला दर्ज करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार उन पर भी उपभोक्ताओं को ओवर रीडिंग भेजकर अनावश्यक परेशान करने के विरुद्ध एफआईआर होनी चाहिए। यह कहना है जूटमिल चौकी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ तेजराम पटेल का जो केलोविहार में निवासरत हैं।

तेजराम पटेल ने बताया कि उनके घर में केवल दो सदस्य ही हैं। ऐसे में बिजली की खपत भी ज्यादा नहीं है। लेकिन हर महीने बिजली बिल में हजारों की रीडि? आ जाती है। हर बार उन्हें बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार अधिकारी नहीं रहते तो वापस भी लौटना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वो न तो अपने घरेलू मीटर से क्रसर चलाते हैं और न ही कोई उद्योग धंधा चलाते हैं, लेकिन उन्हें पिछले तीन महीने से 14000 यूनिट और इससे ज्यादा की रीडिंग दी जा रही है। जबकि मीटर में और बिल में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने बताया कि शिकायत करने के बाद भी हर महीने बढ़ी हुई रीडिंग ही आती है। इससे उन्हें मानसिक पीड़ा हो रही है।

रीडिंग होती भी है या नहीं

हम आपको बता दें कि मीटर रीडिंग अधिकांश तौर पर निजी एजेंसियो के द्वारा करवाई जा रही है। ऐसे में कई बार मीटर रीडर घर पहुंचता ही नहीं है। या पहुंचा भी तो डोर लाक होने के कारण रीडिंग नहीं ले पाता। इसलिए वह अंदाज में ही रीडिंग भर कर अपना काम समाप्त कर लेता है। लेकिन दूसरी ओर उपभोक्ता को बिल देख कर ही हार्ट अटैक आने की आशंका सताने लगती है।

अधिकारियों का ठीक नहीं है रवैया

उपभोक्ताओं की मानें तो विद्युत वितरण कंपनी के कई अधिकारियों का रवैया भी ठीक नहीं है। ऐसे में उपभोक्ताओं की ओर से जब कोई शिकायत की जाती है तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ऐसे में उपभोक्ताओं की समस्या जस की तस बनी रहती है। और कभी कभार उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट भी पड़ता है।

क्या कहते हैं अधिकारी

इस संबंध में हमारी चर्चा जोन टू के एई साहू से हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को तत्काल दिखवाता हूं। जहां से भी गड़बड़ी हो रही होगी उसे दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि मीटर रीडिर की ओर से गड़बड़ी हो रही होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण ने फांसी लगाकर जान दी

रायगढ़। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर घरघोड़ा थाना क्षेत्र ग्राम साल्हेपाली में पिछले दिनों ग्रामीण व्यक्ति सौदागर की हत्या मामले में गांव के अधेड़ से पूछताछ चल रही वही उसने फांसी के फंदे में झूलकर आत्महत्या कर लिया। इस मामले में मोड़ उस वक्त आया जब मृतक के पास से सुसाईड नोट बरामद किया गया। बहरहाल मामले की जांच चल रही है।

स्टोव फटने से झुलसी महिला

रायगढ़। स्टोव फटने से महिला गम्भीर रुप से झुलसने का मामला सामने आया है। घटना जुटमिल चौकी क्षेत्र का है। इस सम्बंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनैना निषाद पति देवलाल निषाद उम्र 24 वर्ष स्थानीय मौदहापारा निवासी है। महिला दोपहर का खाना रोजाना की तरह स्टोव में खाना बना रही थी। वही महिला के दोनों बच्चे उसके दादी के पास आंगन में खेल रहे थे। वही पति रोजी मजदूरी का काम करने गया हुआ था। महिला के बताए अनुसार शायद अधिक हवा भरने के कारण स्टोव फट गया। इस घटना में बम फटने की आवाज बाहर बैठी उसकी सांस ने सुना। झुलसी बहु की चीख पुकार सुन अंदर जाने के बाद अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ गए महिला ने घर से थोड़ी दूर रहने वाले उसके जेठ एवं देवर देवरानी को आवाज लगाई। जिस पर मौके पर आए परिजनों ने आग को बुझाते हुए उसे अटो में जिला अस्पताल लेकर आये जहां महिला का उपचार जारी है। इस घटना के दौरान झुलसी महिला दर्द से कराहने रोते देख उसके दोनों क्रमशः एक वर्ष तीन बच्चे रो रोकर बुरा हाल है। डक्टरों के मुताबिक महिला 60 प्रतिशत झुलस गई है।

महिला को झूठ बोलकर भगा कर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। रिश्तेदार के मरने की झूठी खबर देकर महिला को भगा ले जाने की कोशिश करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना सारंगढ़ चौकी कनकबीर क्षेत्र के 27 वर्षीय महिला 17 अगस्त की दोपहर खेत में काम कर रही थी तब महेन्द्र दास वैष्णव जाकर तुम्हारे लिमगांव का रिश्तेदार मर गया है कहकर हिरोहोण्डा में बैठाकर तेजगति से गाड़ी को चलाते हुए भगा कर ले जा रहा था। सहसपानी के पार होने पर महिला को शंका होने से गाड़ी से कुद गई ।

न्यायसाक्षी की खबर का असर

नितिन रामटेके को मिला न्याय : सामाजिक न्याय संघ की सार्थक पहल

कोतरा रोड चौड़ीकरण से जीवन हुआ था अस्त-व्यस्त

क्या है मामला :

न्यायसाक्षी न्यूज/रायगढ़। अन्त्यावसायी अंतर्गत स्वावलंबन योजना के तहत् प्रदान की गई दुकान को सड़क चौड़ीकरण के तहत् तोड़ दिए जाने और तत्समय घोषित की गई व्यवस्थापन एवं मुआवजा सम्बंधी योजना पर अमल नहीं करने से रोजी-रोटी की समस्या सम्बंधी शिकायत पर विधिक सहायता करने और जॉच कराकर न्यायोचित कार्यवाही कराने हेतु सामाजिक न्याय संघ को दिया था आवेदन।

संदर्भ : अन्त्यावसायी अंतर्गत स्वावलंबन योजना के तहत् प्रदान की गई दुकान क्र. 02 के तोड़े जाने और उसके कारण रोजी-रोटी की समस्या होने पर न्यायोचित कार्यवाही चाही गई थीं, जिसपर न्याय मिला।

अपने आवेदन में नितिन रामटेके ने कहा था कि, मैं ''नितिन रामटेके'' आ0 स्व. मुन्ना रामटेके, उम्र .... वर्ष लगभग, निवासी वार्ड नं. 01 कोतरा रोड, राजीवनगर, रायगढ़, छ.ग. मो.नं. 958996xxxxx का होकर के आपके समक्ष निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करता हूँ कि, मेरे पिता श्री मुन्ना रामटेके, जो कि अब काफी वृद्ध हो चुके हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, को उक्त संदर्भित स्थान पर अन्त्यावसायी अंतर्गत स्वावलंबन योजना के तहत् एक दुकान क्र. 02 प्रदान की गई थीं। जो कि, सड़क चौड़ी करने के अभियान के दौरान तोड़ दी गई। कहा कि, उक्त दुकान को तोड़े जाने के पूर्व नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा दिनांक 27/12/2012 को हमें सूचना जारी की गई कि, नगर पालिक निगम के द्वारा मेरी जो दुकान तोड़ी जा रही है, उसका मुआवजा मिलेगा, साथ ही हमें दुकान के लिए ले-आउट जारी कर जगह दी जावेगी, जिस पर हमें निर्माण स्वयं कराना होगा।

अपने आवेदन में कहा था कि, उक्त आश्वासन के बाद मेरे पिता एवं मैंने सोचा कि सड़क चौड़ीकरण होने के बाद भी हमें सड़क के किनारे जगह दी जा रही है, तो हमने उक्त के आधार पर अपने चलते हुए बिजनेस की दुकान को तोड़ने सम्बंधी कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही कोई आपत्ति उक्त हेतु किसी भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। कहा कि, हमारे पास म.प्र. अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम के कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायगढ़ जिनके द्वारा मेरे पिता श्री मुन्नाराम को दिनांक 08/03/1994 को पट्टा प्रदान किया गया है, से सम्बंधित दस्तावेज भी हैं। जिसके अनुसार हमारे द्वारा पट्टा करार में शर्तो का पालन एवं अनुपालन किया जाता रहा, और हमें उक्त सम्बंध में कभी, किसी भी शर्त के उलंघन हेतु कोई कारण बताओ नोटिस अथवा पट्टा निरस्त किए जाने सम्बंधी कार्यवाही हेतु संस्थित नहीं किया गया जो कि जाहिर करता है कि, हमारे द्वारा करार में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किया जाता रहा।

कहा कि, हमारे साथ उक्त सम्बंध में अन्याय हुआ हे और अब मेरे पिता के वृद्ध एवं अस्वस्थ होने के कारण मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी सम्भाली जा रही है, मैं बेहद परेशान हूँ , और मानसिक एवं आर्थिक समस्या से जूझ रहा हूँ। कहा कि, न्यायोचित कार्यवाही कराए जाने हेतु यह आवेदन आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ में प्रस्तुत है।

ये है माननीय उच्च-न्यायालय का निर्णयः

अपने आवेदन के साथ नितिन रामटेके ने माननीय उच्च-न्यायालय के द्वारा दिनांक 03/02/2016 को रिट पिटिशन क्र. 2187/2015 में प्रकाश राव कुमरे एवं अन्य 1 वि. मुनिस्पल कॉरपोरेशन, रायगढ़ एवं अन्य 02 में जारी किए गए निर्देश का उल्लेख भी किया, जिसमें माननीय उच्च-न्यायालय ने कहा है कि -

At this stage, this petition is finally disposed off with a direction to Nazul Officer, Raigarh to consider petitioners application for allotment of land in accordance with government scheme and existing rules and regulations with regard of nazul land.This decision should be taken within a period of four months from the date of receipt of a copy of this order.

कहा कि, जिससे स्पष्ट है कि मुझे भी मेरे एवं परिवार के जीवन-यापन के लिए नजूल की जमीन दी जा सकती है, जो कि अभी तक नहीं किया गया, जो कि मेरे लिए बेहद मानसिक कष्ट बना रहा है, जिसपर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

ये हुई कार्यवाही :

सामाजिक न्याय संघ ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नितिन रामटेके के आवेदन को कार्यवाही हेतु भेजा जिसपर कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ ने संज्ञान लेते हुए अपने पत्र क्रमांक 1252/रा.वि./ मु.स्वा./ ना.पा.नि./ रायगढ़ 2018 द्वारा नितिन को सूचित किया गया कि - मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना अंतर्गत प्राची विहार डीपापारा आई.टी.आई. के सामने स्थल पर दुकाने रिक्त हैं - जिनमें से आप कोई दुकान ले सकते हैं। जिसके बाद अभी अगस्त माह में नितिन को एक पत्र छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर से प्राप्त हुआ, जिसका क्रमांक /4674/2018/18 है, जिसमें अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन ने आयुक्त को निर्देशित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा है। जिससे नितिन रामटेके ने सामाजिक न्याय संघ की प्रशंसा की और साधुवाद किया है।

विधवा आदिवासी महिला को प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस मुख्यालय ने लिया संज्ञान

सामाजिक न्याय संघ ने की थी न्याय दिलाने की पहल

अपने आवेदन में जानकी सिदार ने कहा था कि, मैं ''जानकी सिदार'' जौ.जे. स्व. प्रेमलाल, उम्र 42 वर्ष लगभग, निवासी रामबाग के पीछे, मोदीपारा,कोतरा रोड,रायगढ़, थाना कोतवाली रायगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग., मो0नं0 81036xxxxx, की रहने वाली हूं, और मैं आदिवासी समाज से आने वाली महिला हूँ , और मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंगुरसिंया में कार्यरत् हूँ। मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है, और मैं अपने बच्चो एवं वृद्ध माता के साथ उक्त पते में रहती हूँ। कहा कि, उक्त रमेश शर्मा ने नगर-पालिक निगम द्वारा घोषित रोड के उपर मकान बनाया और मुझे अन्यथा प्रताड़ित कर रहा है। मुझे मेरे घर में बने हुए दरवाजे को खोले जाने से मना करता है, गाली-गलौज करता है, और बोलता है कि दरवाजा पीछे से खोल लो। यह भी कहा कि, रमेश शर्मा मेरे घर के सामने गेट में गाय बांधता है, जो कि चोरी की गाय थीं, जिसे उसका मालिक मांगने आया तब भी उसको गाय नहीं दिया और, पुलिस के आने और बोले जाने के बाद गाय को वापस किया। उसी गाय को रमेश शर्मा मेरे घर के दरवाजे में बांधता था, जिससे मैं और मेरा परिवार बेहद परेशान थें।

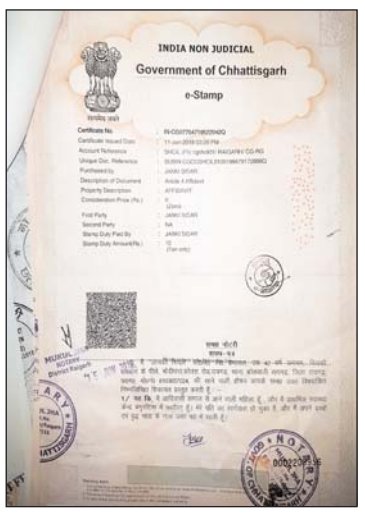

कहा कि,अब उक्त रमेश शर्मा मेरे घर के सामने चार पहिए की पिकअप अथवा मारुति गाड़ी जिसका नम्बंर सीजी 04 डी 7443 है, खड़ी कर देता है, जिससे हम लोगों को निकलने में परेशानी होती है। इसके साथ ही हमारे घर के गेट पर अपनी मोटरसाईकिल भी खड़ी कर देता है, हटाओ कहने से, चाबी नहीं है, कहता है, जो कि बेहद आपत्तिजनक है, और जिसपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। यह भी कहा कि, उक्तानुसार आपत्ति करने से रमेश शर्मा आस-पास में रहने वाले छोटे तपके के व्यक्तियों को मांस-शराब आदि प्रदान करके रात में घर के सामने गंदगी कराता हैं, और गन्दी गाली-गलौज कराता हैं, ताकि मैं अपनी जमीन को छोड़ दूं, कहीं और चली जाउ, जो कि बेहद आपत्तिजनक है, और जिसपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

ये हुई कार्यवाही :

सामाजिक न्याय संघ ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जानकी सिदार के आवेदन को कार्यवाही हेतु भेजा, जिसपर रमेश शर्मा के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कराने बाबत् एक आदेश पुलिस महानिदेशक के द्वारा जारी किया गया है जिसका क्रमांक/ पुमु/ अअवि/ जशिनि/ 50/17 है। जिसपर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस मुख्यालय की अजाक शाखा रायपुर ने पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज को पत्र क्रमांक/ पुमु/ महिला शिका/ रेंज/ 525/2018 द्वारा आदेशित किया है कि रेंज स्तर पर शिकायत पत्र का निराकरण कराकर शिकायतकर्त्ता को सूचित करने का कष्ट करें। इस पत्र को शिंकायतकर्त्ता को भी भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय के संज्ञान लेने से इस प्रकरण में न्याय मिलने की उम्मीद है, और आरोपी को बचाने का प्रयास करने वालों को सबक है। पत्र के प्राप्त होने से जानकी सिदार ने न्याय मिलने की उम्मीद पर हर्ष व्यक्त किया है, और सामाजिक न्याय संघ का आभार जताया है।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

सामाजिक न्याय संघ

शासन से मान्यता प्राप्त
Registered with Govt. No. 5526

अधिकार से न्याय तक

क्या आपको लगता है कि सभी को जीने का समान अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक पीड़ित मानव की भरसक सहायता की जानी चाहिए, तो, आईये हमारे साथ, हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें।

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले, तहसील, विकास खण्ड अथवा किसी भी ग्राम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार की न्यायिक, गैर-न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक या गैर- राजनीतिक समस्या हो, तो समस्या को सुलझाने एवं न्याय प्राप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित हैं।

हमारी उपलब्धियां

आवश्यकता है

शासकीय मान्यता प्राप्त संघ में ऊर्जावान कर्मठ पदाधिकारियों एवं सदस्यों की आवश्यकता है। जो भी इस संस्था से जुड़कर कार्य करना चाहते हों वे अपने समस्त बायोडाटा के साथ सामाजिक न्याय संघ के निम्नांकित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

क्र.	स्थान	पद
1	रायगढ़ जिला एवं समस्त ब्लॉक	45
2	सरगुजा जिला एवं समस्त ब्लॉक	35
3	जशपुर जिला एवं एवं समस्त ब्लॉक	40
4	कोरबा जिला एवं समस्त ब्लॉक	25
5	जांजगीर-चांपा जिला एवं समस्त ब्लॉक	50

व्ही.टी.पी. कार्यालय : श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास रायगढ़ (छ.ग.)
प्रधान कार्यालय : रवि सदन, रवि विहार बस्तर बाड़ा रायपुर (छ.ग.)

सम्पर्क करें-9589876400, 9039961090

E-mail ID- sjunion29@gmail.com website : www.sjunion.org